झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचदश(बजट सत्र)
वर्ग–01

08 फाल्गुन,1945(श0)

निम्नलिखित अल्पसूचित प्रश्न मंगलवार, दिनांकः–27, फरवरी, 2024 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगेः–

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
1.	"क"02 अ0सू0–06	श्री लोबिन हेम्ब्रम ,	जनजातीय भाषा लागू करना।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	19-02-24

नोट–01–'क'– 02 दिनांक–26-02-2024 को सदन द्वारा दिनांक–27-02-2024 के लिए स्थगित।
–02.कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–1271,दिनांक–21-02-24 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानांतरित।

राँची,
दिनांक–27 फरवरी,2024(ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–2936 /वि0स0, राँची, दिनांकः–26/02/24

प्रतिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2024
(संजय कुमार)
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–2930 /वि0स0, राँची, दिनांकः–26/02/24

प्रतिः–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2024
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक–झा0वि0स0 प्रश्न–02/2020–2930 /वि0स0, राँची, दिनांकः–26/02/24

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा/ J.V.S. TV शाखा/ वेबसाईट शाखा/ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान सभा, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

26/02/2024
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा, राँची।
26/02/24

संजय/

पंचम् झारखण्ड विधान सभा

पंचदश (बजट) सत्र

अल्प–सूचित प्रश्न

वर्ग–1

मंगलवार, दिनांक 08 फाल्गुन, 1945 (श0) / 27 मार्च, 2024 (ई0) को

प्रश्नों की कुल संख्या– 01 (एक)

(1) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग– 01 (एक)

कुलयोग– 01 (एक)

जनजातीय भाषा को लागू करना।

उ०स० 2- श्री लोबिन हेम्ब्रम-क्या मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि संविधान में भाषाई रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 350 (A) के तहत् प्रावधान में किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के तहत् प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई का प्रावधानित के बावजूद राज्य में अभी तक इसे अमल में नही लाई गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित प्रावधान पर अमल नही होने से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की अस्तित्व खतरे है;

(4)-यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या खण्ड-1 एवं 3 में वर्णित विषय की गंभीरता को देखते हुए खण्ड-2 में वर्णित प्रावधानों को लागू करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?

राँची,
दिनांक-27 फरवरी,2024(ई0)

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री लोबिन हेम्ब्रम, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–06

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	**माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री**
1.	क्या यह बात सही है कि संविधान में भाषाई रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 350 (A) के तहत् प्रावधान में किया गया है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अनुच्छेद में निहित प्रावधानों के तहत् प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई का प्रावधानित के बावजूद राज्य में अभी तक इसे अमल में नहीं लाई गई है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कक्षा 01 एवं 02 में 05 जनजातीय भाषाओं यथा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया एवं कुड़ुख तथा 03 क्षेत्रीय भाषाओं यथा बंगला, उर्दू एवं उड़िया के लिए पाठ्यपुस्तकें विकसित की गई है तथा चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय भाषाओं एवं क्षेत्रीय भाषाओं में पठन–पाठन हो रहा है। जिला से प्राप्त माँग के अनुरूप विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकें शैक्षणिक सत्र 2016–17 से उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित प्रावधान पर अमल नहीं होने से जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की अस्तित्व खतरे में है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या खण्ड–1 एवं 3 में वर्णित विषय के गंभीरता को देखते हुए खण्ड–2 में वर्णित प्रावधानों को लागू करने का विचार रखती है, हॉ, तो कब तक नही तो क्यों ?	इससे संबंधित उत्तर खंड–2 में सम्मिलित है।

24.02.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 16 / वि2–09 / 2024 264 / राँची, दिनांक 24/02/2024

प्रतिलिपि : 200 प्रतियाँ सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2660 दिनांक 19.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.02.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

ज्ञापांक : 16 / वि2–09 / 2024 264 / राँची, दिनांक 24/02/2024

प्रतिलिपि : उप सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को उनके पत्रांक–1271(अनु.) दिनांक 21.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.24

सरकार के अवर सचिव

Khurshid